

झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008-

/राँची, दिनांक

-: अधिसूचना :-

ढाई करोड़ रुपये से अधिक लागत के जल संसाधन विभाग की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०- 1/पी०एम०सी०/321/08-1413 दिनांक 11.12.2008 द्वारा लागू SBD (Standard Bidding Document) के Section-3 की कंडिका-28 की उप कंडिका-28.1 को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया जाता है :-

Sl. No.	Clause	Provision as pre Old Standard Bid Document of WRD	Provision in Revised Standard Bid Document
1	Section-3 (Conditions of Contract)		
	28.	Extension of the Intended Completion Date	Extension of the Intended Completion Date
	28.1	The Engineer shall extend the Intended Completion Date if a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking steps to accelerate the remaining work and which would cause the Contractor to incur additional cost.	28.1 The Engineer shall extend the Intended Completion Date if a Variation as explained in clause 28.1(a) is issued which makes it impossible for completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking steps to accelerate the remaining work and which would cause the Contractor to incur additional cost. 28.1(a) The Engineer shall also extend the intended completion date in any of the following events :- (i) The employer does not give access to a part of the site by the site possession date stated in the contract data. (ii) Other contractors, public authorities, utilities or the Employer does not work within the dates. (iii) Other constraints such as Public protest, unapproachable working site, unforeseen circumstances and reasons which cause delay or extra cost to the contractor. (iv) Force majeure (eg. Natural Calamities) or conditions beyond the control of the department.

2. Standard Bidding Document के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित एवं आमंत्रित किये जाने वाले निविदाओं तथा चल रही योजनाओं पर उपरोक्त संशोधन लागू होगा।
3. इस संशोधन को जल संसाधन विभाग के Standard Bidding Document में कंडिका-28.1 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008-

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 200 (दो सौ) प्रक्रियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008-

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008-

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख-I/II के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008- 240

/राँची, दिनांक 15/03/18

प्रतिलिपि :- वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/03/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव, (अभि०)

15/03